



यूजेवीएन लि०  
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)  
अधिषासीअभियन्ता (वि./यां),  
मनेरीभालीपरियोजना—द्वितीय चरण, जोषियाडाबैराज, उत्तरकाशी

### महत्वपूर्णसूचना

सभी सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यूजेवीएन लिमिटेड के इस कार्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित 11 के०वी० फिरोपरिलाईनों का परिचालन एवं अनुरक्षण किया जाता है—

#### 1. 11 के०वी० लाईन (एच०आर०टी०)

तिलोथ विद्युत गृह से जोषियाडा बैराज वायाकुटेटी देवी कालोनी, लदाडी, विकासभवन, एन. आई. एम. रोड, कन्सेण, जोषियाडा बैराज ।

#### 2. 11 के०वी० लाईन (बैराज)

तिलोथ विद्युत गृह से जोषियाडा बैराज वाया जोषियाडा से राममन्दिर मार्ग कन्सेण, जोषियाडा बैराज ।

उपरोक्त सभी लाईन वर्ष 1974-75 के बीच निर्मित की गयी थी। लाईन रूट परलाईनों के नीचे व आस-पास व्यक्तियों द्वारा विभाग एवं विद्युत निरीक्षक की पूर्वानुमति के बिना विद्युत अधिनियम 1956 की धारा संख्या 79 एवं 80 का उल्लंघन कर असुरक्षित निर्माण किया गया है जिसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, विद्युत अधिनियम 1956 की धारा संख्या 79 एवं 80 के अनुसार 11 के०वी० लाईनों के विद्युत प्रवाहित तारों से भवन या भवन के किसी भाग की दूरी के मानक निम्न है—

1. जहाँ उच्च वोल्टताफिरोपरिलाईन किसी भवन के ऊपर से या बगल से या उसके किसी हिस्से से गुजरेतो लाईन के ठीक नीचे स्थित भवन के उच्चतम बिन्द से कम नहीं होना चाहिये ।

#### 11 के०वी० उच्चवोल्टतालाईन हेतु 3.658 मीटर (12 फुट)

2. भवन के किसी भाग से निकटतम स्थित चालक की क्षैतिज दूरी उर्ध्वाधर अन्तर निम्न से कम नहीं होना चाहिये ।

#### 11 के०वी० उच्चवोल्टतालाईनहेतु 1.219 मीटर (4 फुट)

अतः सभी सम्बन्धित व्यक्तियों जिन्होंने उपरोक्त मानको का उल्लंघन कर असुरक्षित निर्माण किया है को सलाहदी जाती हैकि आप उच्चवक्ति 11 के०वी० लाईन के नीचे उपरोक्त मानकों से कम दूरी के निर्मित भवन अथवाभवन के भाग को तत्काल हटालें, अन्यथाआप के द्वारा निर्मित भवन के कारण लाईन से आपके परिजनो एवं अन्य जान-माल की हानि हो सकती है जिसके लिये यूजेवीएन लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अधिषासी अभियन्ता

“राष्ट्र हित में बिजली बचायें”